न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या – 84/19 GCMS NO 2019/00173

1. प्रहलाद पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी ग्राम जाहरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर(मृतक)
   1/1. हुकमचंद पुत्र स्व0प्रहलाद
   1/2. भीमसिह पुत्र स्व0प्रहलाद
   1/3. श्रीमती गुडडी देवी पुत्री स्व0प्रहलाद जातियान मीना निवासीयान ग्राम जाहरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास
2. बाबूलाल पुत्र राधाकिशन जाति मीना निवासी जाहरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(प्रार्थना पत्र विरूद्व मु0नं0 24/19 निर्णय दिनांक 17.7.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम सुन्दर गुप्ता

अभिभाषक रैस्पो0 2 श्री रिषीराम मीना

दिनांक 19.12.2024

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से विरुद्व निर्णय दिनांक 17.1.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी प्रहलाद द्वारा एक वाद पत्र बाबत घोषणा खातेदारी ,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था। जो दिनांक 10.4.07 को डिकी किया गया। जिसकी अपील न्यायालय हाजा मे अप्रार्थी बाबूलाल पुत्र राधाकिशन जाति मीना द्वारा अपील संख्या 13/11 पेश की गई। जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29.5.13 को प्रकरण की पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 29.5.13 के परिपेक्ष्य मे डिकी दिनांक 10.4.07 से पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु प्रार्थना पत्र रेस्पो0 संख्या 2 बाबूलाल द्वारा धारा 144 सीपीसी के तहत अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथी/रेस्पो0 बाबूलाल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी दिनांक 10.4.07 की स्थिति बहाल करने के आदेश दिनांक 17.7.19 से प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी पर अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:07:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के दिन ही एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। जो कानूनन प्राकृतिक न्याय व वैधानिक न्याय के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। कानूनन प्रार्थना पत्र की नकल अपीलांट को दिलाई जानी चाहिए थी। उस पर अपीलांट का जबाब प्राप्त कर दोनो पक्षो की सुनवाई करने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे समस्त आवश्यक दस्तावेज पेश किये गये थे तथा साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी। जिसका समग्र अवलोकन करने के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया गया था। जिसमे विवादित भूमि को अपीलांट की नही होना व चारागाह के नाम गलत दर्ज करना मानते हुए उसे पुनःअपीलांट के नाम खातेदारी मे दर्ज करने के आदेश दिये गये थे। इस डिकी की इजराय पेश करने पर विवादित भूमि पुनःअपीलांट /वादी के नाम खातेदारी मे दर्ज की गई। न्यायालय हाजा द्वारा रेस्पो0बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार कर रिमाण्ड की गई थी। अपीलांट का वाद पत्र खारिज नही किया गया था तो ऐसे दावे मे धारा 144 सीपीसी के तहत आदेश पारित नही करना चाहिए। अधिक से अधिक विवादित भूमि को मुन्तकिल नही करने के आदेश पारित किये जा सकते है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावे से पूर्व की स्थिति को बहाल विधि विरूद्व किया है। अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज भूमि को पूर्व मे गलत व नाजायज रूप से चारागाह मे दर्ज किया था तथा उसी को दुरूस्त करने का आदेश डिकी के द्वारा किया गया था। जिसे इस आदेश के जरिये पुनः पूर्व की स्थिति बहाल करने अर्थात चारागाह मे दर्ज करने का निर्णय कर दिया गया। जबकि विवादित भूमि अपीलांट की वास्तविक खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिस पर अपीलांट आवंटन के समय से आज तक काबिज काश्त है। जिसे गलत रूप से चारागाह कर दिया गया। इस प्रकार अपीलांट को अपनी खातेदारी की भूमि से पुनः वंचित होना पडेगा। जबकि वादी/अपीलांट के दावे को खारिज करने का कोई निर्णय आज तक किसी भी न्यायालय द्वारा नही किया गया है। भूमि को चारागाह दर्ज करने के कारण अपीलांट को अपनी ही भूमि पर अतिकमी माना जावेगा जिसके कारण बेदखली,सजा व पेनल्टी से दण्डित होना पडेगा। अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश जारी करने के कारण निर्णय की जानकारी समय पर नही हो सकी। पटवारी हल्का के बताये जाने पर जानकारी हुई। जिस पर निर्णय की अपील राजस्व मंडल अजमेर मे की गई। जिस पर माननीय राजस्व मंडल द्वारा निगरानी पोषनीय नही होने के कारण क्षैत्राधिकार मे न मानकर अपील प्रस्तुत करने के आदेश दिनांक 25.10.19 को जारी किये गये। इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को सर्वप्रथम जानकारी अनुसार अपील प्रस्तुत की गई है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.7.19 को अपास्त फरमाया जावे।

जबाब मे पैरोकार सरकार ने अवगत कराया कि भूमि की किस्म चारागाह होने एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 144 सीपीसी के तहत पारित आदेश की पालना मे भूमि को चारागाह विधि अनुरूप घोषित की गई है। अपीलांट [illegible]।

रेस्पो0 संख्या 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौ[illegible] किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.4.07 को वादी का वाद प[illegible] डिकी किया गया [illegible] अपील न्यायालय हाजा मे रेस्पो0/अप्रार्थी बाबूलाल पुत्र राधाकिश[illegible] अपील संख्या 13/11 पेश की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:07:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

थी। जिसे न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रकरण का मेरिट पर दिनांक 29.5.13 को निर्णय पारित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण की पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। चूकिः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त हो जाने के कारण रेस्पो0 द्वारा विवादित आराजीयात की पूर्व की स्थिति को बहाल कराने हेतु धारा 144 सीपीसी के तहत विधि अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर दावे से पूर्व की स्थिति को बहाल करने के आदेश विधि अनुसार पारित किये है। अपीलांट द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व मियाद बाहर पेश की गई है। चूकिः भूमि की किस्म चारागाह है जिसमे किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादी/अपीलांट द्वारा सेटलमेंट के दौरान भूमि ख0न0 1417 रकबा 0.20 है0ख ख0न0 1418 रकबा 0.16 है0 को अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज नही कर चारागाह मे दर्ज किये जाने से व्यथित होकर अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर रेस्पो/प्रतिवादीगण द्वारा अपील संख्या 13/11 पेश की गई। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा रेस्पो/प्रतिवादी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण की सुनवाई हेतु प्रकरण दिनांक 29.5.13 को रिमाण्ड किया गया। रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दावे से पूर्व की स्थिति को बहाल करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी पेश किया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात की राजस्व रिकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश दिनांक 17.7.19 दिये गये। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एक पक्षीय आदेश है। जबकि कानूनन इस प्रकार के आदेश पारित करने से पूर्व व्यथित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपूर्ण निर्णय की श्रेणी मे आता है। अतःअपीलांट की अपील रिमाण्ड योग्य है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 24/19 मे पारित निर्णय दिनांक 17.7.19 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 27.01.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:07:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner